राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लल्लूराम बनाम कैलाश 915/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 05 नियम 01 व 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 05 नियम 01 व 151 सीपीसी पर सुनी गयी। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 05 नियम 01 व 151 सीपीसी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो।	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/12/2022 पारित करते हुये तहसीलदार को ग्राम भम्भौरी, तहसील कालवाड अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 566 रकबा 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 698 रकबा 4.0848 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 705 रकबा 5.3747 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 5.8173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 733 रकबा 0.1012 हैक्टेयर अन्तर्गत उभयपक्ष की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधारित व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये कुर्रेजात प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना जाहिर होता है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, ऐसेमें तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर विभाजन को लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/12/2022 के माध्यम से प्राथमिक डिक्री पारित करते हुये कुर्रेजात तलब किये गये है एवं	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लल्लूराम बनाम कैलाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकते है। ऐसेमें अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनक 07/12/2022 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	